भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2844

उत्तर देने की तारीख 22 दिसंबर, 2021

बुधवार, 01 □ौष, 1943 (शक)

कौशल भारत कार्यक्रम

2844. श्री नीरज डांगी:

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौशल भारत कार्यक्रम के उद्देश्य क्या-क्या हैं;

(ख) गत पाँच वर्षों के दौरान कितने लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कौशल भारत कार्यक्रम के तहत कुशल होने के पश्चात रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या का रिकार्ड रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्योरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा अपने प्रमुख कार्यक्रम के तहत कुशल होने के पश्चात रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या का रिकार्ड न रखे जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) देश भर में युवाओं के कौशल विकास के लिए निम्नलिखित कौशल विकास स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

क्र. सं.	स्कीम	उद्देश्य
1	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) अपनी महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना है। पीएमकेवीवाई के दो प्रशिक्षण घटक हैं, नामत: अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)।

2	जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम	इस स्कीम का उद्देश्य निरक्षर, नव-साक्षर, 8वीं तक प्राथमिक स्तर की शिक्षा वाले व्यक्तियों और 15-45 वर्ष के आयु-वर्ग के 12वीं कक्षा तक स्कूल की पढ़ाई बीच मे छोड़ने वालों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। प्राथमिकता समूह में महिलाएं, अ.जा., अ.ज.जा., अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग हैं। जन शिक्षण संस्थान न्यूनतम बुनियादी ढांचे और संसाधनों के साथ लाभार्थियों के निकट तक काम करते हैं।
3	राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस)	यह स्कीम शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षुता कार्यक्रम प्रारम्भ करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुओं के नियोजन को बढ़ाने के लिए है।
4	शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस)	यह स्कीम देश भर में 14,417 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से 143 ट्रेडों में दीर्घावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है।

इसके अलावा, एमएसडीई ने नियमों और दिशानिर्देशों के एक सामान्य सेट को लागू करने के लिए कौशल इकोसिस्टम में विभिन्न संकेन्द्रण प्रयासों की शुरुआत की है ताकि देश भर में प्रदान किया जाने वाला कौशल प्रशिक्षण कौशल विकास के हर क्षेत्र में नियमों के एक सामान्य सेट का पालन कर सके। एमएसडीई ने इस संबंध में विभिन्न उपाय किए हैं, प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं:-

- समान लागत मानदंड की शुरूआत
- राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) का गठन

(ख) चूंकि कुशल भारत कार्यक्रम का आरंभ होने के बाद से जिन लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है उनका स्कीम-वार, राज्य-वार और जिला-वार विवरण बहुत लंबा है, वे सभी आंकड़े कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की वेबसाइट (लिंक:- https://msde.gov.in/en/useful-links/parl-ques/rajya-sabha) पर उपलब्ध है।

(ग) स्कीम-वार नियोजन रिकॉर्ड का विवरण इस प्रकार है:

1. पीएमकेवीवाई: प्रशिक्षण प्रदाताओं, डीएससी, एसएसडीएम द्वारा तीन महीने के नियोजन/स्व-रोजगार की निगरानी की जाती है।
2. किसी अन्य स्कीम के तहत, नियोजन रिकॉर्ड की ट्रैकिंग करना अनिवार्य नहीं है और इसलिए उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है।

(घ) **ीएमकेवीवाई**: पीएमकेवीवाई के तहत उम्मीदवारों का नियोजन विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) के तृतीय पक्ष मूल्यांकन के अनुसार, यह पाया गया कि पीएमकेवीवाई प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्तियों की औसत मासिक आय

तुलनात्मक समूह की अपेक्षा 15% अधिक थी। साथ ही, औसत मासिक आय में महत्वपूर्ण 19% का अंतर उन उत्तरदाताओं के साथ देखा गया जिन्होंने आरपीएल किया था और जिनके पास समय की अवधि नहीं थी। इसके अलावा, 76% उम्मीदवारों ने स्वीकार किया कि प्रशिक्षण के बाद, उनके पास रोजगार पाने की बेहतर संभावना है।

बेशक किसी अन्य स्कीम में इस तरह का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं।

जेएसएस: जेएसएस के तहत दिए जाने वाले प्रशिक्षण का उद्देश्य व्यक्तियों को लाभकारी आजीविका के लिए जोड़ना और स्व-रोजगार और मजदूरी रोजगार के माध्यम से उनके परिवार की आय को पूरक करना है। लाभार्थियों को रोजगार/नियुक्ति प्रदान करना जेएसएस स्कीम के अंतर्गत नहीं आता है। जहां तक जेएसएस स्कीम के लाभार्थियों के रोजगार का संबंध है, स्कीम की तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। "आखिरकार यह देखा गया है कि जेएसएस में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभाव के रूप में, स्वयं और मजदूरी रोजगार और निजी नौकरी स्पष्ट हो गई है"। स्कीम की उपयोगिता इस तथ्य से और अधिक स्पष्ट होगी कि इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि (I) लाभार्थी शिक्षुओं में से 77.05% व्यावसायिक पाली में चले गए हैं तथा (II) वर्ष 2018-19 के बीच नामांकित और प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या में 59.23% की वृद्धि हुई है। यह तथ्य लाभार्थियों के आजीविका विकल्पों पर स्कीम के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

सीटीएस: आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट (जनवरी 2018 में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित) में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई उत्तीर्ण में से 63.5% (वेतन रोजगार+स्व-रोजगार, जिसमें से 6.7% स्व-रोजगार हैं) नियोजित थे और 36.4% बेरोजगार रहे और नौकरी की तलाश में थे। हालांकि पहला आंकड़ा पुरुषों (65.1%) की तुलना में महिलाओं (55.3%) का कम था, अ.जा. (65%) और अ.ज.जा. (69.8%) के लिए संबंधित आंकड़े कुल उत्तीर्ण का प्रतिशत (वेतन रोजगार+स्व-रोजगार) नियुक्त से अधिक था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*****